न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 51/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्रेमाराम पुत्र श्री पूनारामजी, जाति जाट, निवासी ग्राम तनावडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम ।

उपस्थिति –
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा ।

आदेश

दिनांक :- 6/1/2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 83, 86, 87 व 89 वाके राजस्व ग्राम तनावडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित है उक्त कृषि भूमियों को प्रार्थी ने सन् 1979 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा खरीद की थी जिस बेचाननामे में प्रार्थी का नाम प्रेमाराम पुत्र श्री पूनाराम दर्ज किया हुआ है । उक्त बेचाननामे के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया । कालान्तर मे प्रार्थी का नाम प्रेमाराम की जगह राजस्व रेकर्ड मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश पेमाराम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जबकि राजस्व रेकर्ड में बेचाननामा अनुसार प्रार्थी का नाम प्रेमाराम ही दर्ज होना चाहिये जिससे कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुषित हो गये है तथा प्रार्थी के नाम से जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादी जो बने हुए है उन सभी में भी प्रेमाराम ही दर्ज है जिससे कि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमियों के कृषि खराबे के मुआवजे व केसीसी लेने में हर बार दिक्कत आती है तथा कठिनाईयों का सामना करना पडता है । राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में जो प्रार्थी का नाम पेमाराम दर्ज है उसके स्थान पर प्रेमाराम दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे कि प्रार्थी को केसीसी लेने में तथा कृषि खराबे का मुआवजना लेने में कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । अंत में निवेदन किया कि ग्राम तनावडा, तहसील लूणी के खसरा संख्या 83, 84, 86, 87 व 89 में जो प्रार्थी का नाम पेमाराम दर्ज है उसके स्थान पर प्रेमाराम दर्ज किया जावें ।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा की बहस सुनी गयी । अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । चूंकी प्रार्थी द्वारा उक्त खसरान की कृषि भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा दिनांक 06.04.1979 को खरीद की हुई है जिसकी फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसमें प्रार्थी का नाम पेमाराम दर्ज नही होकर प्रेमाराम है तथा उक्त बेचाननामें के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 203 का हवाला देते हुए जमाबन्दी

Scanned by CamScanner

सम्वत् 2031 से 3034 में इन्द्राज किया हुआ है उसमें भी प्रेमाराम ही दर्ज है जबकि वर्तमान जमाबन्दीयों में प्रेमाराम के स्थान पर पेमाराम दर्ज किया हुआ हैं तथा प्रार्थी के नाम से जो आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादी पत्रावली में संलग्न किये हुए हैं उसमें भी प्रेमाराम ही दर्ज किया हुआ हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 83, 84, 86, 87, व 89 की जमाबन्दीयों में प्रार्थी का नाम पेमाराम दर्ज हैं उसके स्थान पर प्रेमाराम दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
गोपाल परिहार आर.ए.एस.

आदेश आज दिनांक 6/1/2021 लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

उपखण्ड अधिकारी, लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
गोपाल परिहार आर.ए.एस.
लूणी

Scanned by CamScanner